


**एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान
जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा (छोगो)
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**



आवेदन का प्रारूप

1. आवेदिका का नाम.....
2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम.....
माता का नाम
3. पूर्ण पता :—
(अ) ग्राम..... (ब) पोस्ट.....
(स) विकासखण्ड..... (द) जिला.....
4. आवेदिका की जन्मतिथि..... आयु.....
5. आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता.....
6. आवेदिका का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सर्वे –
सूची क्रमांक./मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का क्रमांक
7. आवेदिका की जाति..... धर्म.....
8. आवेदिका की बहनों की संख्या विवाहित..... अविवाहित.....
पूर्व में योजनार्गत बहन को सहायता प्राप्त हुआ है (हाँ/ नहीं)।
9. वर का नाम.....
उसका व्यवसाय.....
11. वर के पिता/अभिभावक का नाम.....
माता का नाम
12. पूर्ण पता :—
(अ) ग्राम..... (ब) पोस्ट.....
(स) विकासखण्ड..... (द) जिला.....
13. वर की जन्मतिथि..... आयु.....
वर की शैक्षणिक योग्यता.....
15. वर/उसके परिवार की आर्थिक स्थिति.....
16. वर की जाति..... धर्म.....

17. विवाह की रीति.....
18. विवाह की अपेक्षित तिथि.....
19. कन्या के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण.....
-
20. विवाह में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची (दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 व्यक्ति)
-

हस्ताक्षर.....
आवेदिका का नाम.....

घोषणा – पत्र

मैं सुश्री..... माता श्रीमती.....
पिता/अभिभावक श्री..... पता..... ग्राम.....
..... पोस्ट..... जिला..... मुख्यमंत्री कन्या विवाह
योजनान्तर्गत से एवं परिवार की सहमति से श्री..... से विवाह
करना चाहती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाली परिवार
की प्रथम/द्वितीय कन्या हूँ तथा यह मेरा प्रथम विवाह है। मैं तथा मेरा परिवार प्रषासन द्वारा
निर्धारित तिथि/स्थल पर सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने तथा सामूहिक विवाह समारोह के
लिए शासन/प्रषासन द्वारा निर्धारित नियमों एंव व्यवस्थाओं के पालन के लिए सहमत है।
इस विवाह में दहेज का लेन–देन नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....
आवेदिका का नाम.....

हम उपरोक्त घोषणा से सहमत हैं।

- (1) हस्ताक्षर.....
आवेदिका के माता/पिता अभिभावक का नाम.....
.....
- (2) हस्ताक्षर.....
वर का नाम.....
.....
- (3) हस्ताक्षर.....
वर के माता/पिता अभिभावक का नाम.....
.....

आ.बा.कार्य. ग्रा.पं.सचिव. सरपंच/पार्षद पटवारी
टीप :- आवेदन के साथ निम्न प्रमाण–प्रत्र संलग्न किये जावे।

1. जाति प्रमाण
2. जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र (जो कि अंकसूची के रूप में/ग्राम पंचायत/सरपंच /कोटवार) द्वारा दिया गया हो ।
3. गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/नगर पालिका अधिकारी/नगर निगम आयुक्त/सक्षम अधिकारी) द्वारा जारी किया गया हो अथवा गरीबी रेखा सूची की सत्यापित छायाप्रति के रूप में हो। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कार्ड की छायाप्रति ।
4. पूर्व से विवाहित नहीं होने के संबंध में वार्ड पार्षद/ग्राम सरपंच/ग्राम पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र ।

सत्यापन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का सम्यक् समाधान/प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन/परीक्षण किया गया है, आवेदनकर्ता जोड़ें का विवाह योजनान्तर्गत कराया जा सकता है । आवेदिका ने 18 वर्ष एवं वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

पर्यवेक्षक

नाम.....
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सोनाखान, जिला – बलौदाबाजार

पूर्व में विवाहित नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु0.....

पिता श्री जाति उम्र निवासी

..... का विवाह पूर्व में नहीं हुआ है। यह आवेदिका का प्रथम विवाह होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभ दिये जाने की अनुषंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

सचिव

ग्राम पंचायत.....

हस्ताक्षर

सरपंच / पार्षद

ग्राम पंचायत.....